राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5280/2022

रामजीवन मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Chira Banda, नादौती, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.10.2022
आदेश की दिनांक : 05.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नीरज कुमार शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिरावण्डा, नादौती, जिला करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिकों का स्थानान्तरण किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 108 पर अंकित है और उसे बीकानेर रेंज से चिरावण्डा, करौली, रेंज भरतपुर पदस्थापित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–4) को कार्यग्रहण किया। किन्हीं कारणों से अध्यापक ग्रेड द्वितीय की

वरिष्ठता रेंज/संभाग स्तर पर वर्ष 2012 में बीकानेर रेंज की वर्ष 2022 तक की तैयार की गई तथा आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा उसकी रेंज परिवर्तित की गई। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आवेदन नहीं दिया और ना ही अपीलार्थी को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी थी और ना ही यह मालूम था कि उसकी रेंज बाहर स्थानान्तरण होने से वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी। उनका कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक भरतपुर रेंज में अपीलार्थी से वरिष्ठ हो गए। अपीलार्थी अपनी मूल वरिष्ठता पाने के लिए बीकानेर रेंज में स्थानान्तरण के लिए इच्छुक है चूंकि आनन्दगढ़, जिला बीकानेर में अध्यापक ग्रेड द्वितीय (हिंदी) का एक पद आज भी रिक्त है, अगर प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो अपीलार्थी की सेवाएं रिक्त पद के विरूद्ध स्थानान्तरित कर सकता है। अपीलार्थी की रेंज परिवर्तित होने से उसकी वरिष्ठता समाप्त होने से उसकी पदोन्नति में विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आनन्दगढ़, बीकानेर में पदस्थापित कर उसकी मूल वरिष्ठता पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन बीकानेर रेंज से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिरावण्डा, नादौती, करौली, रेंज भरतपुर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है तथा अपीलार्थी उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण भी कर चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पूर्ण रूप से पालना की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिरावण्डा, नादौती, जिला करौली में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीकानेर रेंज से भरतपुर रेंज में होने से उसकी वरिष्ठता परिवर्तित होने से उससे कनिष्ठ कार्मिक उससे वरिष्ठ हो जाने का प्रश्न है,

हमारे विनम्र मत में आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–3) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीकानेर रेंज से भरतपुर रेंज में किया गया है। चूंकि अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा का कार्मिक है और माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों की वरिष्ठता रेंज/संभाग स्तर पर संधारित होती है। इस प्रकार रेंज परिवर्तित होने से वरिष्ठता में परिवर्तन होना लाजमी है। अपीलार्थी उक्त आदेश की अनुपालना में आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–4) को नवीन स्थानान्तरण/पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–3) की अनुपालना पूर्ण रूप से की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल ना होने से खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य